

“आदेश”

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, (संख्या-1, वर्ष 2018) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025-E-33080 दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या 04 में अंकित कार्यालय में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्रीमती राधा कोरंगा	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रानीखेत	मुख्य कृषि अधिकारी बागेश्वर	निजी अनुरोध

श्रीमती राधा कोरंगा वर्ग-3 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्रीमती राधा कोरंगा का स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

मुख्य कृषि अधिकारी बागेश्वर सिंगल विण्डों व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद के अन्दर अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।

६०१-
(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड,

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:-कृ०नि०/ 2619 A /स्था०अनु०-1/वर्ग-3/वार्षिक स्थानान्तरण/2025-26/दिनांक 10/06/2025,
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमती राधा कोरंगा सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रानीखेत।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रानीखेत को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्रीमती राधा कोरंगा वर्ग-3 को आदेश निर्गत होने के 07 के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य कृषि अधिकारी बागेश्वर को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित कार्मिक की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. मुख्य कृषि अधिकारी अल्मोडा/बागेश्वर।
6. संयुक्त कृषि निदेशक कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी।
7. गार्ड पत्रावली

(डा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

“आदेश”

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, (संख्या-1, वर्ष 2018) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025-E-33080 दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या 04 में अंकित कार्यालय में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री मनोज कुमार	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी बागेश्वर	मुख्य कृषि अधिकारी अल्मोडा	निजी अनुरोध

श्री मनोज कुमार वर्ग-3 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्री मनोज कुमार का स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

मुख्य कृषि अधिकारी अल्मोडा सिंगल विण्डों व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद के अन्दर अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।


(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड,

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:-कृ०नि०/ 2619 B /स्था०अनु०-1/वर्ग-3/वार्षिक स्थानान्तरण/2025-26/दिनांक 16-06-2025,
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री मनोज कुमार सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी बागेश्वर।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी बागेश्वर को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री मनोज कुमार वर्ग-3 को आदेश निर्गत होने के 07 के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य कृषि अधिकारी अल्मोडा को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित कार्मिक की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. मुख्य कृषि अधिकारी बागेश्वर/अल्मोडा।
6. संयुक्त कृषि निदेशक कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी।
7. गार्ड पत्रावली


(डा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

“आदेश”

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, (संख्या-1, वर्ष 2018) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025-E-33080 दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या 04 में अंकित कार्यालय में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री शान्तनु मिश्रा	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी भिकियासैण	मुख्य कृषि अधिकारी नैनीताल	निजी अनुरोध

श्री शान्तनु मिश्रा वर्ग-3 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्री शान्तनु मिश्रा का स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

मुख्य कृषि अधिकारी नैनीताल सिंगल विण्डों व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद के अन्दर अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।


(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड,

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:-कृ०नि०/2620 A /स्था०अनु०-1/वर्ग-3/वार्षिक स्थानान्तरण/2025-26/दिनांक 10-6-2025,
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री शान्तनु मिश्रा सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी भिकियासैण।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी भिकियासैण को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री शान्तनु मिश्रा वर्ग-3 को आदेश निर्गत होने के 07 के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य कृषि अधिकारी नैनीताल को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित कार्मिक की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. मुख्य कृषि अधिकारी अल्मोडा/नैनीताल।
6. संयुक्त कृषि निदेशक कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी।
7. गार्ड फ़ाइल


(डा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

“आदेश”

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, (संख्या-1, वर्ष 2018) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025-E-33080 दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या 04 में अंकित कार्यालय में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री दीपक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी धूमाकोट	मुख्य कृषि अधिकारी रुद्रप्रयाग	निजी अनुरोध

श्री दीपक वर्ग-3 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्री दीपक का स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

मुख्य कृषि अधिकारी रुद्रप्रयाग सिंगल विण्डों व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद के अन्दर अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।


(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड,

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:-कृ०नि०/ 2620 B /स्था०अनु०-1/वर्ग-3/वार्षिक स्थानान्तरण/2025-26/दिनांक 10-6-2025,
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री दीपक सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी धूमाकोट।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी धूमाकोट को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री दीपक वर्ग-3 को आदेश निर्गत होने के 07 के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य कृषि अधिकारी रुद्रप्रयाग को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित कार्मिक की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. मुख्य कृषि अधिकारी पौड़ी/रुद्रप्रयाग।
6. अपर कृषि निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7. गार्ड पत्रावली


(डा०अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

“आदेश”

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, (संख्या-1, वर्ष 2018) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025-E-33080 दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या 04 में अंकित कार्यालय में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री अखिलेश सिंह चौहान	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुद्रप्रयाग	मुख्य कृषि अधिकारी उत्तरकाशी	निजी अनुरोध

श्री अखिलेश सिंह चौहान वर्ग-3 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्री अखिलेश सिंह चौहान का स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

मुख्य कृषि अधिकारी उत्तरकाशी सिंगल विण्डों व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद के अन्दर अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।

801/-
(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड,

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:-कृ०नि०/ 2621 B /स्था०अनु०-1/वर्ग-3/वार्षिक स्थानान्तरण/2025-26/दिनांक 10-6-2025,
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री अखिलेश सिंह चौहान सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुद्रप्रयाग।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुद्रप्रयाग को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री अखिलेश सिंह चौहान वर्ग-3 को आदेश निर्गत होने के 07 के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य कृषि अधिकारी उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित कार्मिक की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. मुख्य कृषि अधिकारी उत्तरकाशी/रुद्रप्रयाग।
6. अपर कृषि निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7. गार्ड पत्रावली

(डा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

“आदेश”

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, (संख्या-1, वर्ष 2018) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025-E-33080 दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या 04 में अंकित कार्यालय में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री फरहान अली सैय्यद	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कर्णप्रयाग	मुख्य कृषि अधिकारी टिहरी	निजी अनुरोध

श्री फरहान अली सैय्यद वर्ग-3 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्री फरहान अली सैय्यद का स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

मुख्य कृषि अधिकारी टिहरी गढ़वाल सिंगल विण्डों व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद के अन्दर अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।

५४/-
(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड,

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:-कृ०नि०/ 2622 B /स्था०अनु०-1/वर्ग-3/वार्षिक स्थानान्तरण/2025-26/दिनांक 10-06-2025,
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री फरहान अली सैय्यद सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कर्णप्रयाग।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कर्णप्रयाग जनपद चमोली को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री फरहान अली सैय्यद वर्ग-3 को आदेश निर्गत होने के 07 के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य कृषि अधिकारी टिहरी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित कार्मिक की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. मुख्य कृषि अधिकारी टिहरी/चमोली।
6. अपर कृषि निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7. गार्ड पत्रावली।

९
(डा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

“आदेश”

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, (संख्या-1, वर्ष 2018) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025-E-33080/दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर पारिस्परिक में उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या 04 में अंकित कार्यालय में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम / पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1.	कु० पूजा कैडा वर्ग-3	कृ०ए०भू०स०अ०नईटिहरी जनपद टिहरी	कृ०ए०भू०स०अ० भिकियासैण जनपद अल्मोडा	पारस्परिक
2.	श्री कुलदीप तोमर वर्ग-3	कृ०ए०भू०स०अ०भिकियासैण जनपद अल्मोडा	कृ०ए०भू०स०अ०नई टिहरी जनपद टिहरी	

कु० पूजा कैडा एवं श्री कुलदीप तोमर वर्ग-3 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। कु० पूजा कैडा एवं श्री कुलदीप तोमर वर्ग-3 का पारस्परिक स्थानान्तरण किया जा रहा है, जिस हेतु इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

सम्बन्धित कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सिंगल विण्डों व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद के अन्दर अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।

88/-
(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड,

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 2623 A /स्था०अनु०-1/वर्ग-3/वार्षिक स्थानान्तरण/2025-26/दिनांक 10-6- 2025

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कु० पूजा कैडा वर्ग-3, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी नई टिहरी।
2. श्री कुलदीप तोमर वर्ग-3, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी भिकियासैण।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी नई टिहरी/भिकियासैण को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार कु० पूजा कैडा एवं श्री कुलदीप तोमर वर्ग-3 को आदेश निर्गत होने के 07 के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें, तथा सम्बन्धित कार्मिकों की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना भी सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी टिहरी/अल्मोडा।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
6. अपर कृषि निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7. संयुक्त कृषि निदेशक कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी।
8. गार्ड फ़ाइल।

2
(डा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

“आदेश”

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, (संख्या-1, वर्ष 2018) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025-E-33080/दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर पारिस्परिक में उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या 04 में अंकित कार्यालय में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1.	कु० तनु शर्मा वर्ग-3	कृ०ए०भू०स०अ०कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल	कृ०ए०भू०स०अ०चकराता स्थित कालसी, जनपद देहरादून।	पारस्परिक
2.	श्री अखिलेश नैथानी वर्ग-3	कृ०ए०भू०स०अ०चकराता स्थित जनपद देहरादून।	कृ०ए०भू०स०अ०कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल	

कु० तनु शर्मा एवं श्री अखिलेश नैथानी वर्ग-3 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। कु० तनु शर्मा एवं श्री अखिलेश नैथानी वर्ग-3, पारस्परिक स्थानान्तरण किया जा रहा है, जिस हेतु इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

सम्बन्धित कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सिंगल विण्डों व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद के अन्दर अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।


 (क०सी०पाठक)
 कृषि निदेशक
 उत्तराखण्ड,

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 2623 B /स्था०अनु०-1/वर्ग-3/वार्षिक स्थानान्तरण/2025-26/दिनांक 10-6-2025

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कु० तनु शर्मा वर्ग-3, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कोटद्वार।
2. श्री अखिलेश नैथानी वर्ग-3, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चकराता स्थित कालसी।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कोटद्वार/चकराता स्थित कालसी को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार कु० तनु शर्मा एवं श्री अखिलेश नैथानी वर्ग-3 को आदेश निर्गत होने के 07 के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें, तथा सम्बन्धित कार्मिकों की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना भी सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून/पौड़ी।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
6. अपर कृषि निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7. गार्ड पत्रावली।


 (डा० अजय कुमार वर्मा)
 उप कृषि निदेशक,
 (मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
 कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
 देहरादून

“आदेश”

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, (संख्या-1, वर्ष 2018) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025-E-33080 दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या 04 में अंकित कार्यालय में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री गौरव चौधरी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चकराता स्थित कालसी	मुख्य कृषि अधिकारी पौड़ी	निजी अनुरोध

श्री गौरव चौधरी वर्ग-3 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्री गौरव चौधरी का स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

मुख्य कृषि अधिकारी पौड़ी सिंगल विण्डों व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद के अन्दर अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।


(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड,

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:-कृ०नि०/ 2622 A /स्था०अनु०-1/वर्ग-3/वार्षिक स्थानान्तरण/2025-26/दिनांक 10-06-2025,
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री गौरव चौधरी सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कोटद्वारा।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चकराता स्थित कालसी को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री गौरव चौधरी वर्ग-3 को आदेश निर्गत होने के 07 के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य कृषि अधिकारी पौड़ी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित कार्मिक की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून/पौड़ी।
6. अपर कृषि निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7. गार्ड फ़ाइल


(डा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

“आदेश”

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, (संख्या-1, वर्ष 2018) कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के शासनादेश संख्या-282747/XXX (2)/2025-E-20917 दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX (2)/2025-E-33080 दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या 04 में अंकित कार्यालय में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती कार्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री अजयराज असवाल	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुद्रप्रयाग	मुख्य कृषि अधिकारी उत्तरकाशी	निजी अनुरोध

श्री अजयराज असवाल वर्ग-3 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करें। श्री अजयराज असवाल का स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

मुख्य कृषि अधिकारी उत्तरकाशी सिंगल विण्डों व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद के अन्दर अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।


(कै०सी०पाठक)
कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड,

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:-कृ०नि०/ 2621 A /स्था०अनु०-1/वर्ग-3/वार्षिक स्थानान्तरण/2025-26/दिनांक 10-6-2025,
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री अजयराज असवाल सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुद्रप्रयाग।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुद्रप्रयाग को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री अजयराज असवाल वर्ग-3 को आदेश निर्गत होने के 07 के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य कृषि अधिकारी उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित कार्मिक की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. मुख्य कृषि अधिकारी उत्तरकाशी/रुद्रप्रयाग।
6. अपर कृषि निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7. गार्ड पत्रावली


(डा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून